

# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं०-टी० ए० मिस वाद सं०- 247B/2019-20

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b)

1. बनमाली महतो 2. रविन्द्र महतो .....आवेदक/विक्रेता  
बनाम

भानु देवी .....क्रेता

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

16-07-2020

विक्रेता :- 1.बनमाली महतो 2. रविन्द्र महतो दोनों के पिता स्व० श्रीचरण महतो उर्फ शिवचरण महतो, ग्राम-हिदीबिली, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड), जाति-कुर्मी।

क्रेता :- भानु देवी पति श्रीधर महतो, ग्राम-झापड़ागुड़ा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-कुर्मी।

विक्रेता द्वारा दिनांक 25.02.2020 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता भानु देवी पति श्रीधर महतो, ग्राम-झापड़ागुड़ा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना / थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
झापड़ागुड़ा	सरायकेला / 243	33 / अं०	1173 / अं०	0.26 ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 583 दिनांक 26.06.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेतागण के स्वयं एवं अन्य के नाम से पंजी-II है।
2. बिक्रेतागण बंटननामा के आधार पर अपने हिस्से के आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते हैं।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकबा-3.28 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु भूमि बिक्री करना चाहते हैं।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी हैं एवं जाति-'कुर्मी' है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

8

लगातार.....2

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।


न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता 1.बनमाली महतो 2. रविन्द्र महतो दोनों के पिता स्व० श्रीचरण महतो उर्फ शिवचरण महतो, ग्राम-हिदीबिली, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) क्रेता भानु देवी पति श्रीधर महतो, ग्राम-झापड़ागुड़ा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा-0.26एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,



भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।